LL.B 5 year IInd sem
Law of Contract-II

Unit-I Indemnity-Concept and need for indemnity to facilitates commercial transaction. definition of indemnity and its essential element, nature and extent of liability of the ~~indemnifier~~ indemnifiers commencement of liability of the indemnifiers.
Guarantee - concept of the contract of guarantee; its definition, nature and scope distinction with indemnity: Continuing guarantee; nature and extent of surety liability rights of surety: position of surety in the eye of law: discharge of surety liability

Scanned with CamScanner

LL.B Year II [IIIrd] sem संविदा विधि II (Law of Contract)

Unit - I

प्रश्न 1. क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा दीजिए तथा क्षतिपूर्तिधारी के अधिकारों की विवेचना कीजिए।

उत्तर क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा (Definition of Contract of Indemnity) - धारा 124 के अनुसार - क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को - 1. स्वयं वचनदाता के आचरण से, या 2. किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है "क्षतिपूर्ति की संविदा" कहलाती है।

दृष्टांत (Illustration)

~~क ऐसी~~ क ऐसी कार्यवाहियो के परिणामो के लिए जो ग 200 रुपए की अमुक राशि के सम्बन्ध में ख के विरूद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। सामान्यत: बीमा की संविदाएँ और उनमे भी विशेष रूप से अग्नि - बीमा की संविदाएँ क्षतिपूर्ति की संविदाएँ होती हैं।

भारतीय विधि मे आंग्ल - विधि की अपेक्षा क्षतिपूर्ति की संविदा को अत्यन्त सीमित भाव मे परिभाषित किया गया है। भारतीय विधि में केवल एक ही प्रकार की क्षतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है जो क्षतिपूरक द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा से उत्पन्न होती है कि वह दूसरे पक्षकार की रक्षा स्वयं अपने आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि से करेगा।

Scanned with CamScanner

इसमें उन दशाओं का उल्लेख नहीं है जिनमें हानि घटनाओं या दुर्घटनाओं द्वारा होती है जो क्षतिपूरक के आचरण या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्भर नहीं होती या जो क्षतिपूरक के अनुरोध पर क्षतिपूरित द्वारा कुछ करने से उत्पन्न हो गये उत्तरदायित्व से होती है।

* क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार (Rights of indemnity holder) धारा 125 :
क्षतिपूर्तिधारी के विरुद्ध वाद लाये जाने पर उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अन्तर्गत क्षतिपूर्तिधारी को क्षतिपूरक के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं-
1. क्षतिपूर्तिधारी वह सब नुकसानी या क्षतिपूर्ति धनप्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है जिसका संदाय करने के लिए उसे किसी वाद में विवश किया गया हो।
2. क्षतिपूर्तिधारी दावे का प्रतिरोध-करने में हुए समस्त युक्तियुक्त खर्चों को प्राप्त करने का हकदार होता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि अपनी प्रतिरक्षा करने में उसने एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह कार्य किया हो। यदि वह अयुक्तियुक्त रूप से खर्ची करता है तो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता।
3. क्षतिपूर्तिधारी किसी दावे का समझौता शर्तों पर समझौता कर सकता है और क्षतिपूर्ति की संविदा के आधार पर वह उन समस्त राशियों को जो उसने समझौते के परिणामस्वरूप दी है, प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है

प्रश्न 2. प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं? यह क्षतिपूर्ति की संविदा से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा धारा 126. "प्रत्याभूति की संविदा", "प्रतिभू", "मूलऋणी" और "लेनदार"- "प्रत्याभूति की संविदा" किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है "प्रतिभू" कहलाता है, वह व्यक्ति, जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है "मूलऋणी" कहलाता है, और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है "लेनदार" कहलाता है प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।

* धारा 127- प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल- मूलऋणी के फायदे के लिए की गई कोई बात भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिये जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा।

* प्रत्याभूति की संविदा के पक्षकार (Parties to the Contract of Guarantee) प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार (three Parties) होते हैं।

1. प्रतिभू (Surety)- वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है।
2. मूलऋणी (Principal debtor)- वह व्यक्ति जिसके लिये या जिसकी चूक के लिये प्रत्याभूति दी जाती है।
3. मूलऋण-दाता (Principal Creditor) वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है।

Scanned with CamScanner

* प्रत्याभूति संविदा के आवश्यक तत्व

1. मूल-ऋणी (Principal debtor) एवं लेनदार (Creditor) के बीच संविदा का होना;
2. लेनदार एवं प्रतिभू के बीच इस आशय की संविदा होना कि प्रतिभू ऋण की प्रत्याभूति दे; एवं
3. मूल ऋणी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रतिभू से प्रतिभू के रूप में कार्य करने की प्रार्थना करे। इस प्रकार प्रत्याभूति की संविदा में तीनो पक्षकारो का अभिव्यक्त रूप से भाग लिया जाना अथवा उसमें विवक्षित सम्मति होना आवश्यक है।

प्रत्याभूति की संविदा तथा क्षतिपूर्ति की संविदा में अन्तर

क्षतिपूर्ति की संविदा	प्रत्याभूति की संविदा
1. क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल दो पक्षकार होते है।	1. प्रत्याभूति की संविदा मे तीन पक्षकार होते है।
2. क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य हानि की प्रतिपूर्ति करना होता है।	2. प्रत्याभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य वचनदाता द्वारा वचन का पालन नहीं किये जाने पर प्रतिभू द्वारा उसके पालन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होता है।
3. क्षतिपूर्ति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध के बिना ही होता है।	3. प्रत्याभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है।
4. क्षतिपूर्ति की संविदा का मूल तथ्य प्रत्यक्ष व्यवहार होता है और तीसरे पक्षकार के अस्तित्व से स्वतन्त्र किया जासकता है।	4. प्रत्याभूति की संविदा मूल-ऋणी की पूर्व-धारणा करती है।

Scanned with CamScanner

5. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूरक अपने नाम से सीधे पक्षकार के विरुद्ध तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि अभिहस्तांकन न हो, उसके लिए क्षतिपूरक के नाम से वाद लाना आवश्यक है।	5. प्रत्याभूति की संविदा में जहाँ प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को देय ऋण का उन्मोचन कर देता है, वहाँ ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है।

4. धारा 128. प्रतिभू का दायित्व - प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो। उदाहरण क एक विनिमय पत्र की प्रतिज्ञाग्रहीता ग द्वारा देनगी की ख को प्रत्याभूति देता है। वह पत्र ग द्वारा अनादरित (Dishonoured) कर दिया जाता है। क, न केवल उस पर विनिमय पत्र की रकम के लिए अपितु किसी ब्याज या प्रभारों के लिए भी जो कि उस पर शोध्य हो गये है, दायी है, इसी प्रकार जहाँ कोई प्रतिभू किसी प्रोनोट की गारन्टी देता है, वहाँ वह न केवल उस प्रोनोट की रकम के लिए अपितु उस ब्याज के भुगतान का भी उत्तरदायी होगा।

4. धारा 129. "चलत प्रत्याभूति" (Continuing guarantee) वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति कहलाती है। A guarantee which extends to a series of transaction, is called a "Continuing guarantee"

Scanned with CamScanner

उदाहरण - कई महीनों तक किराया वसूल करके भुगतान करने की प्रत्याभूति एक चलत प्रत्याभूति है।

क के इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि ख अपनी जमींदारी के माटको (Rents) का संग्रह करने के लिए ग को नौकर रखेगा, ग द्वारा उन माटको के सम्यक संग्रह और संदाय के लिए 5,000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का ख को वचन देता है। यह चलत प्रत्याभूति है।

* चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण - चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण तीन अवस्थाओं मे हो सकता है-

प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर, प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर, एवं संविदा के निबन्धनों में फेरफार हो जाने पर।

1. प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर (By Notice) धारा 130 के अनुसार प्रतिभू द्वारा लेनदार को सूचना देकर चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण किया जा सकता है, अर्थात कोई भी प्रतिभू लेनदार को समुचित सूचना देकर चलत प्रत्याभूति को प्रतिसंहृत कर सकता है। लेकिन ऐसा प्रतिसंहरण केवल भावी संव्यवहारों तक सीमित है। प्रतिभू अपने पूर्व के दायित्वों से इस प्रकार सूचना देकर उन्मोचित नही हो सकता।

2. प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर (By Death of Surety) धारा 131 के अनुसार किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव मे प्रतिभू की

मृत्यु हो जाने पर चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण हो जाता है।
प्रतिभू की मृत्यु के बाद पश्चात्‌वर्ती संव्यवहारों के लिए उसके वैध प्रतिनिधि भी उत्तरदायी नहीं होते।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लेनदार को प्रतिभू की मृत्यु की सूचना होना आवश्यक नहीं है।

3. संविदा के निबन्धनों मे फेरफार हो जाने पर
धारा 133 के अनुसार संविदा के निबन्धनों में फेरफार हो जाने पर भी प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है और प्रत्याभूति प्रतिसंहृत हो जाती है।

❀ प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन (Discharge of ~~Revocation~~) of surety from his liability)
प्रतिभू निम्नलिखित प्रकार से अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है।

1. प्रतिसंहरण की सूचना द्वारा धारा 130 के तहत चलत प्रत्याभूति को प्रतिभू ऋणदाता को सूचना देकर भविष्य के संव्यवहारों के बारे में किसी भी समय प्रतिसंहरण (Revoke) कर सकता है।

2. प्रतिभू की मृत्यु द्वारा धारा [redacted] 131 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभू की मृत्यु प्रत्याभूति को प्रतिकूल संविदा के अभाव मे वहाँ तक जहाँ तक कि उनका भविष्य के संव्यवहारों से सम्बन्ध है, प्रतिसंहृत कर देती है।

3. संविदा मे परिवर्तन या भिन्नता, विधि का धारा 133
यह एक सामान्य नियम है कि किसी भी संविदा के निबन्धनों मे कोई भी फेरफार

उस संविदा के सभी मुख्य पक्षकारों की सम्मति से किया जाना चाहिये।
यदि प्रत्याभूति की संविदा में लेनदार और ऋणी प्रतिभू की जानकारी एवं सम्मति के बिना उस संविदा के निबन्धनों में कोई फेरफार कर लेते हैं तो वह प्रतिभू उस संविदा के अधीन पश्चातवर्ती संव्यवहारों के लिए अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगा।

4. मूलऋणी की निर्मुक्ति या ~~उन्मोचन~~ उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन धारा 134. लेनदार और मूलऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से, जिसके द्वारा मूलऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य का लोप से, जिसका विधिक परिणाम मूलऋणी का उन्मोचन हो प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है।

5. समय बढ़ाने तथा वाद न चलाने के करार द्वारा प्रशमन धारा 135 यदि प्रतिभू की सम्मति के बिना लेनदार और मूलऋणी के बीच ऐसी कोई संविदा हो जाती है, जिससे - (1) लेनदार मूल-ऋणी के साथ समझौता कर लेता है; या
(2) लेनदार मूल-ऋणी को समय अनुदत्त करता है; या
(3) लेनदार मूल ऋणी पर वाद न लाने का वचन देता है है;
तो इससे प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है।

Scanned with CamScanner

6. लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से, जिससे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास है, प्रतिभू का उन्मोचन धारा 139 - यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप करे जिसके किए जाने की प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता हो और मूलऋणी के विरुद्ध प्रतिभू के अपने पारिणामिक उपचार का तद्द्वारा ह्रास होगा तो प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा।

धारा 140. संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार - जहां कि कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो, या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूलऋणी से व्यतिक्रम हो गया हो वहां वे सब अधिकार, जो लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हों, प्रतिभू द्वारा उस सब के जिसके लिए वह दायी हो संदाय या पालन पर प्रतिभू में विनिहित हो जाते हैं।

धारा 141. लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार - प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे को हकदार है जो उस समय, जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं, और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना

Scanned with CamScanner

उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति [redacted] के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा

उदाहरण- एक लेनदार ग को, जिसका ख को दिया हुआ उधार डिक्री द्वारा प्रतिभूति है उस उधार के लिए क से भी प्रत्याभूति मिलती है। तत्पश्चात ग उस डिक्री के निष्पादन में ख के माल को कुर्की करा लेता है, और तब क को जानकारी के बिना उस निष्पादन का प्रत्याहरण कर लेता है। क उन्मोचित हो जाता है।

धारा 146 सह-प्रति समानत: अभिदाय करने के दायी होते हैं -

जहां कि दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिए, या तो संयुक्तत: या पृथक्त: और चाहे एक ही चाहे विभिन्न संविदाओं के अधीन, और चाहे एक दूसरे के ज्ञान में, चाहे ज्ञान के बिना, सह-प्रतिभू हों वहीं उन सह-प्रतिभूओं में से हर एक तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहां तक, जहां तक उनके बीच का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण ऋण का या उसके भाग का, जो मूल ऋणी द्वारा असंदत्त रह गया हो, समान अंश समानत: देने के दायी है।

उदाहरण- ड. को उधार दिए गए 3,000 रुपये के लिए च के क ख और ग प्रतिभू है। ड. सदाय में व्यतिक्रम करता है।

Scanned with CamScanner

क, ख और ग, जहा तक उनके बीच का सम्बन्ध है, हर एक 1,000 रुपय संदत करने का दायी है।

धारा 147- विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह: प्रतिभुओ का दायित्व- सह-प्रतिभू, जो विभिन्न राशियो के लिए आबद्ध है, अपनी - अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओ तक समानत: संदाय करने के दायी है।

उदाहरण- घ के प्रतिभूओ के रूप मे क, ख और ग इस शर्त पर आश्रित कि ङ. को घ सम्यक रूप से लेखा देगा पृथक -पृथक तीन बन्धपत्र लिख देते है, जिसमे से हर एक भिन्न शास्ति वाला है अर्थात क का 10,000 रुपए की, ख का 20,000 रुपए की, ग का 40,000 रुपए की शास्ति वाला है। घ 30,000 रुपए का लेखा नही देता। क, ख और ग हर एक 10,000 रुपए संदाय करने के दायी है।